न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अनोपपुरा, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 407 / 2002
दायर तिथि— 22.03.2002
तारीख फैसला— 05.06.2018

वादीः—
जब्बरसिंह गोद पुत्र तेजसिंहजी आयु 32 वर्ष
जाति राजपूत निवासी भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)।

ब ना म

प्रतिवादीगणः—
1—तेजसिंह पुत्र भोमसिंहजी आयु 68 वर्ष
जाति राजपूत निवासी भाचुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)।
2—श्रीमति भीकीदेवी पुत्री तेजसिंह पत्नि मोतीसिंहजी आयु 38 वर्ष जाति—राजपूत निवासी चाणोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली हाल घाटकोपर बम्बई (महाराष्ट्र)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

—ःनिर्णयः—

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः—
(1) वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा भाचुन्दा पटवार क्षैत्र अनोपपुरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 1174, 1658, 1659, 1819, 1832 कुल रकबा 4.5000 हैक्टर सतार मोहम्मद पुत्र गनीखा कौम मुसलमान सा.कवराडा तह. आहोर जिला जालोर 2 / 42 हि. गणेश पुत्र शंकरजगम वगैरह के नाम खातेदारी दर्ज है।
(2) मौजा भाचुन्दा की जमाबन्दी संवत 2064—2067 में खसरा नं. 1174, 1658, 1659, 1819, 1832 कुल रकबा 4.5000 हैक्टर में तेजसिंह पुत्र भोमा के नाम खातेदार दर्ज थी।
(3) तेजसिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपुत निवासी भाचुन्दा द्वारा खसरा नं. 1174, 1658, 1659, 1819, 1832 कुल रकबा 4.5000 हैक्टर का भीकी देवी पुत्र तेजसिंह पत्नि मोतीसिंह जाति राजपूत सा. चाणौद के पक्ष में दिनांक 02.01.2002 द्वारा पंजीबद्ध बक्शिशनामां क.सं. 12 / 2002 के जरिये ना.करण सं. 692 दिनांक 09.06.2009 से राजस्व रेकर्ड में भीकी देवी पुत्री तेजसिंह पत्नी मोतीसिंह कौम राजपूत सा. चाणौद इन्द्राज किया गया।
(4) तेजसिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत नि. भाचुन्दा द्वारा दिनांक 08.06.99 को क्र.सं. 18 / 99 द्वारा पंजीबद्ध गोदनामा से जब्बरसिंह पुत्र विडदसिंह जाति राजपूत नि. भाचुन्दा को गोद लिया गया। एम. एन. 1258, 1262, 1288 इत्यादि द्वारा खाता आगे सन्तारखॉं पुत्र गनीखॉं बगैरा को बेचान हो गई है।

प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट लि गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तेजसिंह ने अपनी पुत्री को जमीन बक्शिश में दी गई हैं। भीकी देवी द्वारा जमीन का बेचान अन्य को कर दिया गया है। प्रकरण में जमीन का हस्थानान्तरण हो जाने से एवं खातेदार बदल जाने से एवं वर्तमान खातेदारों के नाम नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अनोपपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला—पाली

Scanned by CamScanner